

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-01/2025/81(आप)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

उप निदेशक पंचायत राज, भागलपुर
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,
नालंदा, सिवान एवं मुंगेर
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
अरवल, औरंगाबाद, गया, गोपालगंज, जमुई,
सहरसा, पूर्णियाँ एवं मधुबनी

पटना, दिनांक 14/11/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना" मद में कुल ₹4,99,17,600.00 (चार करोड़ निन्यानवे लाख सत्तरह हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी-1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल ₹4,99,17,600.00 (चार करोड़ निन्यानवे लाख सत्तरह हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

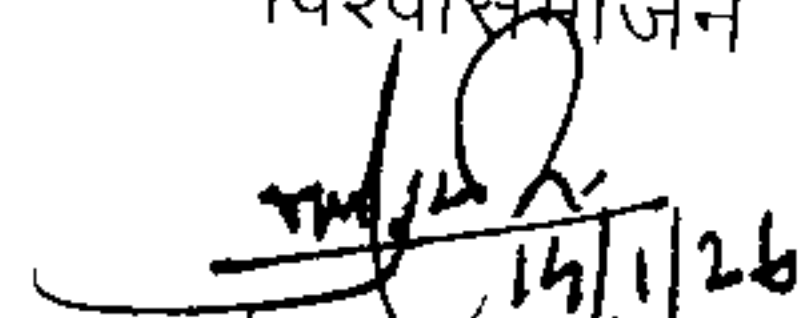
3. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. इस आवंटित राशि के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-2515000010003) को CFMS Office में विपत्र कोड 16-2515000010003 को यथाशीघ्र Tag/Map करा लिया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि CFMS द्वारा राशि आवंटित की जा सके।
6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।
10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-01/2025 के पृष्ठ संख्या 57/टि० पर दिनांक 13/01/26 को प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010003 है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

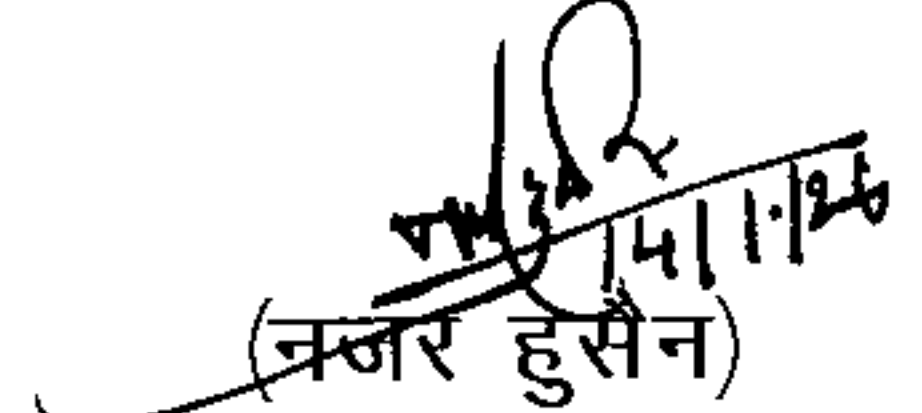
विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव



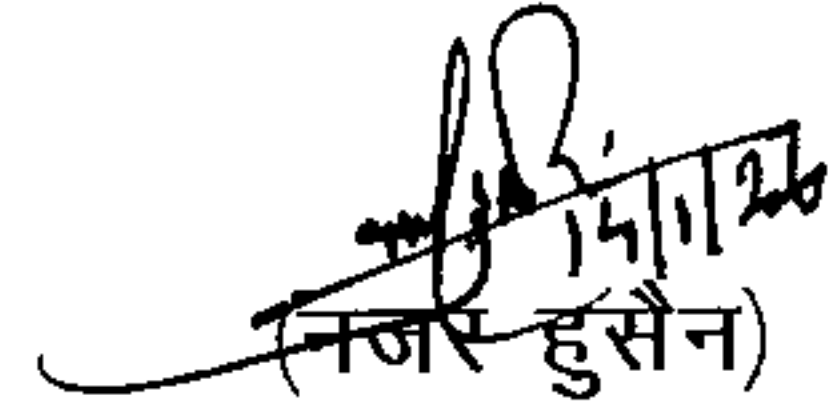
ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-01/2025/81(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी
/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-01/2025/81(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त


(नजर हुसैन)
अपर सचिव


Aditi

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निर्देशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन विवरणी :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वैतन										अन्य मद				योग (8 से 12)
		वैतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	मंभत्ता 0003.01.04	पंभत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	योग (3 से 7 तक)	यात्रा व्यय 0003.11.01	का० व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	संचिता सेवाएं 0003.28.02					
1	उप निदेशक पंचायत राज, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालन्दा	275000.00	165000.00	56000.00	28000.00	6000.00	530000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530000.00				
2	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुंगेर	1047000.00	585000.00	106700.00	36000.00	24000.00	1798700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1798700.00				
3	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सिवान	661000.00	380000.00	67000.00	0.00	14000.00	1122000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1122000.00				
4	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुंगेर	550000.00	319000.00	24000.00	0.00	7000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900000.00				
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	1413000.00	820000.00	106000.00	0.00	30000.00	2369000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2369000.00				
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	8176000.00	4266000.00	382400.00	0.00	230000.00	13054400.00	0.00	0.00	0.00	870000.00	13924400.00				
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28200.00	150000.00	0.00	0.00	178200.00				
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425300.00	425300.00				
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	150000.00				
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	150000.00				
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	150000.00	20000.00	0.00	220000.00				
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	28000000.00	28150000.00				
कुल		12122000.00	6535000.00	742100.00	64000.00	311000.00	19774100.00	78200.00	750000.00	20000.00	29295300.00	49917600.00				

चार करोड़ निम्नान्वे लाख सत्तरह हजार छह सौ रुपये मात्र

(अक्षर हुसन)
अपर सचिव

9/11/25